"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 सितम्बर 2006—भाद्र 21, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2006

आदेश

फा. क्र./11407/2291/21-ब/छ. ग./05.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्र. 39 सन् 1987) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से सेवारत माननीय न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं.

F. No. 11407/2291/21-B/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Service Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987), The Governor of Chhattisgarh, in consultation with the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, is pleased to nominate Hon'ble Shri Justice L. C. Bhadoo, serving Judge of Chhattisgarh High Court, Bilaspur as the Executive Chairman of the Chhattisgarh State Legal Services Authority.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.